Candidate Copy

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय,प0 सिंहभूम, चाईबासा।

14वें वित्त आयोग के तहत संविदा पर जिला के विभिन्न प्रखण्डों में लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हेतु प्रवेश पत्र

लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र / Admit Card Written Exam

अभ्यर्थी का नामः	
पिता/पति का नामः	
रॉल नं0	
जन्मतिथिः	
वर्ग/श्रेणीः	सामान्य / अ0ज0जा0 / अ0जा0
लिंगः	पुरूष / महिला
परीक्षा की तिथिः	14.02.2019
परीक्षा का समयः	अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र का नाम एवं पताः	प्रमण्डलीय प्रशिक्षण संस्थान, पाताहातु, चाईबासा। (रोरो डैम के पास)

Photograph

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Office Copy

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय,प0 सिंहभूम, चाईबासा।

14वें वित्त आयोग के तहत संविदा पर जिला के विभिन्न प्रखण्डों में लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हेतु प्रवेश पत्र

लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र / Admit Card Written Exam

अभ्यर्थी का नामः	
पिता/पति का नामः	
रॉल नं0	
जन्मतिथिः	
वर्ग/श्रेणीः	सामान्य / अ0ज0जा0 / अ0जा0
लिंगः	पुरूष / महिला
परीक्षा की तिथिः	14.02.2019
परीक्षा का समयः	अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक
परीक्षा केन्द्र का नाम एवं पताः	प्रमण्डलीय प्रशिक्षण संस्थान, पाताहातु, चाईबासा।

Photograph

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

निर्देश / Instructions

1. यह परीक्षा 2 घंटे अर्थात 120 मिनट की होगी।
2. अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुँचें।
3. अभ्यर्थी परीक्षा में प्रवेश कार्ड के साथ पहचान पत्र (जैसे –आधार कार्ड, वोटर आई०डी०, ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड इत्यादि) की एक छाया प्रति लेकर आयेंगे।
4. परीक्षा केन्द्र में मोबाईल फोन एवं अन्य किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित है।
5. अनुचित साधनों यथा–आपस में बात करना, नकल सामग्री साथ रखना, दण्डनीय अपराध है। परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

निर्देश / Instructions

1. यह परीक्षा 2 घंटे अर्थात 120 मिनट की होगी।
2. अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुँचें।
3. अभ्यर्थी परीक्षा में प्रवेश कार्ड के साथ पहचान पत्र (जैसे –आधार कार्ड, वोटर आई०डी०, ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड इत्यादि) की एक छाया प्रति लेकर आयेंगे।
4. परीक्षा केन्द्र में मोबाईल फोन एवं अन्य किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित है।
5. अनुचित साधनों यथा–आपस में बात करना, नकल सामग्री साथ रखना, दण्डनीय अपराध है। परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।